

कार्यालय-निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/बी/उत्तर मैट्रिक/2019-20/

दिनांक : 27.06.2019

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा,

- विषय :-** उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 के लिए पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाईन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र भरने बाबत।
- प्रसंग :-** सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 9(4)उ.मै.छा./सान्धअवि/पोर्टल/सरलीकरण/2018-19/सान्धअवि / 5883 दिनांक 17.06.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा शैक्षणिक सत्र 2019-20 में राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग)/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में राज्य की राजकीय/निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राजकीय एवं राष्ट्रीय स्तर की राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं (कक्षा 11 एवं 12 के केवल राजकीय शिक्षण संस्थान) के विद्यार्थियों द्वारा www.scholarship.rajasthan.gov.in पर क्लिक कर पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाईन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र भरने के लिए निम्नानुसार तिथियां निर्धारित की जाती है :-

क्र.सं.	विषय वस्तु	निर्धारित तिथियां
1.	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के लिए पोर्टल प्रारंभ करने की तिथि	20 जून 2019
2.	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि/पोर्टल बन्द करने की तिथि	31 अगस्त 2019

नवीन छात्रवृत्ति पोर्टल पर शैक्षणिक सत्र 2019-20 में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विद्यार्थियों के लिए निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग) के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 2.50 लाख रुपये तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
2. अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 1.50 लाख रुपये तक वार्षिक आय सीमा वाले निम्नलिखित 17 श्रेणियों वाले विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे। जैसे- बी.पी.एल. कार्ड धारक की पुत्री/पुत्र, अन्तोदय कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, स्टेट बी.पी.एल. कार्ड धारक की पुत्री/पुत्र, अनाथ बालिका/बालक, विधवा स्वयं, विधवा की पुत्री/पुत्र, तलाकशुदा महिला स्वयं, तलाकशुदा महिला की पुत्री/पुत्र, विशेष योग्यजन स्वयं, विशेष योग्यजन की पुत्री/पुत्र।
3. डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 1.00 लाख रुपये तक की वार्षिक आय सीमा वाले केवल राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।

4. डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु (DNT) उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 2.00 लाख रुपये तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
5. मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 5.00 लाख रुपये से कम वार्षिक आय सीमा वाले सभी जाति के परिवारों के राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं (विभाग द्वारा सूचीबद्ध) में अध्ययनरत विद्यार्थी की आवेदन कर सकेंगे।
6. सभी विद्यार्थी अपना आवेदन पत्र स्वयं भरें। ऑनलाईन आवेदन पत्र के लिए पासवर्ड स्वयं सृजित करें। छात्र यदि ई-मित्र/साईबर कैफे/शैक्षणिक संस्थान से आवेदन कर रहे हैं तो अपने सामने ही सभी प्रविष्टियों को आवेदन पत्र में भरवायें एवं समस्त प्रविष्टियों की जांच स्वयं कर लें तथा यदि कोई त्रुटि है तो आवेदन पत्र को उसको सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र को ऑनलाईन फाईनल सममिट करें।
7. छात्र-छात्रा मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी स्वयं की ही दें।
8. अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग)/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को आवश्यकतानुसार मूल दस्तावेज साथ रखने होंगे ताकि आवश्यकता होने पर वांछित मूल दस्तावेज को रंगीन स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड किया जा सके। जैसे आय घोषणा पत्र (विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र द), मूल निवास, विवाहित महिला की स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र, अनाथ एवं विधवा स्वयं/विधवा के पुत्र/पुत्री की स्थिति में पिता/माता/पति की मृत्यु पर संबंधित का मृत्यु प्रमाण पत्र, तलाकशुदा महिला की स्थिति में तलाक से संबंधित दस्तावेज, गत अंतिम परीक्षा की अंकतालिका, फीस की मूल रसीद।
9. ओबीसी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को आवेदन पत्र ऑन लाईन करते समय निम्नलिखित वांछित दस्तावेज/सूचनाएं तैयार रखना आवश्यक होगा एवं आवश्यकता अनुसार मूल दस्तावेज को रंगीन स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा। जाति प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा ऑनलाईन जारी किया गया हो, ही मान्य होगा।
10. आय का घोषणा पत्र वर्ष 2019-20 हेतु एक पृष्ठीय निर्धारित प्रपत्र (जो कि विभागीय वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है) में ही बनाकर मूल ही स्कैन कर पोर्टल पर यथा स्थान अपलोड करना होगा। पिता जीवित होने की स्थिति में पिता द्वारा, पिता की मृत्यु होने की स्थिति में माता द्वारा, माता-पिता दोनों की मृत्यु होने की स्थिति में संरक्षक द्वारा, माता-पिता एवं संरक्षक तीनों ही नहीं होने की स्थिति में स्वयं द्वारा, विवाहित महिला होने की स्थिति में पति द्वारा आय की घोषणा की जावेगी। माता-पिता नियोजित होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी एक पृष्ठीय मूल आय प्रमाण पत्र स्कैन कर पोर्टल पर यथा स्थान अपलोड करना होगा।
11. विद्यार्थियों की समस्त सूचनाएं भामाशाह पोर्टल के माध्यम से ही ली जायेंगी। अतः विद्यार्थी के शैक्षणिक रिकार्ड एवं भामाशाह पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में कोई भिन्नता हो तथा शैक्षणिक रिकार्ड के मुताबिक परिवर्तन कराना चाहता है तो भामाशाह पोर्टल में अंकित सूचना में भामाशाह पोर्टल के माध्यम से ही संशोधन करवाया जाना आवश्यक होगा। विद्यार्थी की भामाशाह आई.डी. आधार कार्ड एवं विद्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन डाटा समान होना चाहिए।
12. भामाशाह आई.डी. तथा आधार नम्बर के अभाव में विद्यार्थी की छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की जा सकेगी।
13. विद्यार्थी का बैंक खाता संख्या उपलब्ध नहीं करवाये जाने की स्थिति में छात्रवृत्ति राशि भामाशाह कार्ड में अंकित विद्यार्थी अथवा परिवार के मुखिया के बैंक खाते में हस्तान्तरित होगी। विद्यार्थी अपने बैंक खाते की (KYC) अपडेट रखें।
14. वर्ष 2019-20 में राज्य के मूल निवासी विद्यार्थियों के आवेदन पत्र विद्यार्थी के गृह जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिलाधिकारी के द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे। जयपुर जिले में दो

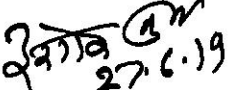
विभागीय कार्यालय होने के कारण सांगानेर, झोटवाड़ा एवं आमेर तहसील के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र जयपुर (शहर) एवं जयपुर जिले की शेष रही अन्य तहसीलों के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र जयपुर (ग्रामीण) कार्यालय में अग्रेषित किये जाएंगे।

15. कक्षा 11 व 12 की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु केवल अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग)/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु वर्ग के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।

16. कक्षा 11 व 12 की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु छात्रवृत्ति स्वीकृता अधिकारी संबंधित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी एवं संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी होंगे।

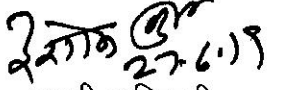
उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संबंधी विस्तृत जानकारी www.scholarship.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। साथ ही विभागीय वेबसाइट पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी विस्तृत विज्ञप्ति इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

संलग्न:- सान्याअवि की विज्ञप्ति दिनांक 17.06.2019 की प्रति।


27.6.19
प्रभारी अधिकारी
छात्रवृत्ति अनुभाग
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, शिक्षा संकुल, जयपुर।
3. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक (माध्यमिक) को प्रेषित कर निवेदन है कि वे अपने अधिनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को उक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु पाबन्द करे।
4. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को प्रभावी मॉनेटरिंग करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।


27.6.19
प्रभारी अधिकारी
छात्रवृत्ति अनुभाग
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, शिक्षित लाइन रेलवे प्रॉडिंग के पास, जयपुर

आवेदन एवं प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार द्वारा जारी नवीन छात्रवृत्ति योजना 5887

दिनांक 17-6-2019

आदेश

शैक्षणिक सत्र 2019-20 में राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति/विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग)/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में राज्य की राजकीय/विजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राजकीय/राष्ट्रीय स्तर एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं (कक्षा 11 एवं 12 के केवल राजकीय शिक्षण संस्थान) के विद्यार्थियों द्वारा वेबसाइट www.scholarship.rajasthan.gov.in विलक कर पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाइन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र भरने के लिए निम्नानुसार तिथियां निर्धारित की जाती हैं :-

क्र.सं.	विषय वस्तु	निर्धारित तिथियां
1	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए पोर्टल प्रारंभ करने की तिथि	20 जून 2019
2	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के लिए पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि/पोर्टल बन्द करने की तिथि	31 अगस्त 2019

नवीन छात्रवृत्ति पोर्टल पर शैक्षणिक सत्र 2019-20 में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन करने हेतु विद्यार्थियों के लिए निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं :-

1. अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) एवं विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग-SBC) के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 2.50 लाख रु. तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
2. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 1.50 लाख रु. तक वार्षिक आय सीमा वाले निम्नलिखित 17 श्रेणियों वाले विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे। जैसे- बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, अन्त्योदय कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, स्टेट बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, अनाथ बालिका/बालक, विधवा स्वयं, विधवा की पुत्री/पुत्र, तलाकशुदा महिला स्वयं, तलाकशुदा महिला की पुत्री/पुत्र, विशेष योग्यजन स्वयं, विशेष योग्यजन की पुत्री/पुत्र।
3. डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 1.00 लाख रुपये तक की वार्षिक आय सीमा वाले केवल राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
4. डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु (DNT) उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 2.00 लाख रु. तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
5. मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 5.00 लाख रु. से कम वार्षिक आय सीमा वाले सभी जाति के परिवारों के राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं (विभाग द्वारा सूचीबद्ध) में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
6. सभी विद्यार्थी अपना आवेदन पत्र स्वयं भरें। ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए पारावर्ड स्वयं सृजित करें। छात्र यदि ई-मित्र/साइबर कैफे/शैक्षणिक संस्थान से आवेदन कर रहे हैं तो अपने सामने ही सभी प्रविष्टियों को आवेदन पत्र में भरवाये एवं समस्त प्रविष्टियों की जांच स्वयं कर लें तथा यदि कोई त्रुटि है तो आवेदन पत्र को उसको सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र को ऑनलाइन फाइनल सबमिट करें।
7. छात्र/छात्रा मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी स्वयं की ही दें।

8. SC/ST/SGS (पूर्व में SBC) /EBC/DNT/ मूल्यमयी सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को आवेदन पत्र ऑन लाईन करते समय निम्नलिखित वांछित दस्तावेज/सूचनाएं तैयार रखना आवश्यक होगा एवं आवश्यकतानुसार मूल दस्तावेज को रंगीन स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा। आय का घोषणा पत्र (विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र 4), मूल निवास विवाहित महिला की स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र, अनाथ एवं विधवा स्वयं/विधवा के पुत्र/पुत्री की स्थिति में पिता/माता/पति की मृत्यु पर संबंधित का मृत्यु प्रमाण पत्र, तलाकशुदा महिला की स्थिति में तलाक से संबंधित दस्तावेज, गत अंतिम परीक्षा की अंकतालिका, फीस की मूल रसीद।
9. OBC उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को आवेदन पत्र ऑन लाईन करते समय निम्नलिखित वांछित दस्तावेज/सूचनाएं तैयार रखना आवश्यक होगा एवं आवश्यकतानुसार मूल दस्तावेज को रंगीन स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा जाति प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा ऑनलाईन जारी किया गया हो, ही मान्य होगा। बी.पी.एल./अन्तोदय/स्टेट बी.पी.एल. का डाटा भामाशाह से लिया जावेगा। वर्ष 2019-20 हेतु आय का घोषणा (नवीन प्रारूप), मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाहित महिला की स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र, अनाथ बालिका/बालक होने की स्थिति में माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र। विधवा स्वयं, विधवा की पुत्री/ पुत्र होने की स्थिति में पति/पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र। तलाकशुदा महिला स्वयं, तलाकशुदा महिला की पुत्री/पुत्र होने की स्थिति में तलाक होने का दस्तावेज अपलोड करना होगा। विशेष योग्यजन स्वयं, विशेष योग्यजन की पुत्री/ पुत्र होने की स्थिति में विशेष योग्यजन को जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
10. आय का घोषणा पत्र वर्ष 2019-20 हेतु एक पृष्ठीय निर्धारित प्रपत्र (जो कि विभागीय वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है) में ही बनाकर मूल ही स्कैन कर पोर्टल पर यथा स्थान अपलोड करना होगा। पिता जीवित होने की स्थिति में पिता द्वारा, पिता की मृत्यु होने की स्थिति में माता द्वारा, माता-पिता दोनों की मृत्यु होने की स्थिति में संरक्षक द्वारा, माता-पिता एवं संरक्षक तीनों ही नहीं होने की स्थिति में स्वयं द्वारा, विवाहित महिला होने की स्थिति में पति द्वारा आय की घोषणा की जावेगी। माता-पिता नियोजित होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी एक पृष्ठीय मूल आय प्रमाण पत्र स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा।
11. विद्यार्थियों की आधारभूत सूचनाएं जैसे- नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म, बैंक खाता संख्या, मोबाईल नम्बर आदि भामाशाह पोर्टल से ली जा रही है। विद्यार्थी के शैक्षणिक रिकार्ड एवं भामाशाह पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में कोई भिन्नता हो तथा शैक्षणिक रिकार्ड के मुताबिक परिवर्तन कराना चाहता है, तो भामाशाह पोर्टल में अंकित सूचना में भामाशाह पोर्टल के माध्यम से ही संशोधन करवाया जाना आवश्यक होगा।
12. भामाशाह आई.डी. तथा आधार नम्बर के अभाव में विद्यार्थी की छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की जा सकेगी।
13. विद्यार्थी का बैंक खाता संख्या उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में छात्रवृत्ति राशि भामाशाह कार्ड में अंकित विद्यार्थी अथवा परिवार के मुखिया के बैंक खाता में हस्तान्तरित होगी। यदि विद्यार्थी अपने खाते में ही राशि हस्तान्तरण करवाना चाहता है, तो विद्यार्थी को भामाशाह पोर्टल पर अपना बैंक खाता संख्या अंकित करवाना अनिवार्य होगा। विद्यार्थी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है कि उसके द्वारा अंकित किया हुआ बैंक खाता निम्न प्रकार है:-
 - a. छात्रवृत्ति आवेदन आवेदन पत्र में जो खाता उनके द्वारा अंकित किया जा रहा है, वह बैंक नियमों के अनुसार केवाई.सी. (KYC) पूर्ण स्वयं का खाता हो।

b. छात्र के खाते में लेन-देन भी बैंक द्वारा निर्धारित समय-अन्तराल में हो एवं छात्र को प्राप्त होने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति की कुल धनराशि छात्र के खाते में ऑनलाईन ट्रांसफर के लिए कोई ऐसी सीमा (LIMIT) निर्धारित न हो जिससे कि धनराशि अन्तरण सम्भव न हो पाये।

c. बैंक खाता बन्द न हो।

14. शैक्षणिक संस्थान द्वारा विद्यार्थी को उपलब्ध कराई गई फीस की रसीद में अंकित 8 मद ही यथा 1. पंजीकरण शुल्क (Registration Fee), 2. नामांकन शुल्क (Enrolment Fee), 3. शिक्षण शुल्क (Tuition Fee), 4. खेल-कूद शुल्क (Games Fee), 5. रांगठन (यूनियन) शुल्क (Union Fee), 6. पुस्तकालय शुल्क (Library Fee), 7. पत्रिका शुल्क (Magazine Fee), 8. परीक्षा शुल्क (Examination Fee) का योग एवं अनुसूचित भत्ता का योग ही छात्रवृत्ति हेतु देय है। विद्यार्थी शिक्षण संस्थान द्वारा जारी फीस की रसीद में इन 8 मद को सावधानी से पोर्टल पर अंकित करें। फीस की मदों का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में केवल अनुसूचित भत्ता ही देय होगा। अन्य देय फीसों का पुनर्भरण संभव नहीं होगा।
15. अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क (NON REFUNDABLE FEES) के कालम में शिक्षण संस्थान से जानकारी करने के बाद ही वास्तविक फीस की धनराशि अंकित करें।
16. विद्यार्थी को शैक्षणिक संस्थान एवं पाठ्यक्रम का चयन सावधानी पूर्वक करना होगा। यदि विद्यार्थी द्वारा गलत शैक्षणिक संस्थान/पाठ्यक्रम/योजना अथवा अन्य का चयन किया जाता है एवं इस आधार पर आवेदन स्थाई रूप से निरस्त हो जाता है तो इसके लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
17. वर्ष 2019-20 से राज्य के मूल निवासी विद्यार्थियों के आवेदन पत्र विद्यार्थी के गृह जिले (बोनाफाइड सर्टिफिकेट) के जिलाधिकारी के द्वारा स्वीकृत किये जाएंगे। जयपुर जिले में दो विभागीय कार्यालय जयपुर एवं जयपुर ग्रामीण होने के कारण सांगानेर, झोटवाड़ा एवं आमेर तहसील के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र जयपुर (शहर) कार्यालय में एवं जयपुर जिले की अन्य तहसीलों (सांगानेर, झोटवाड़ा एवं आमेर तहसीलों को छोड़कर) के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र जयपुर (ग्रामीण) कार्यालय में अग्रेषित (Forward) किये जायेंगे।
18. कक्षा 11 व 12 की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष समूह योजना, आर्थिक पिछड़ा वर्ग तथा विमुक्त, धुमन्तु, अर्द्धधुमन्तु वर्ग के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
19. कक्षा 11 व 12 की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी संबंधित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी एवं संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी होंगे।

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संबंधी विस्तृत जानकारी www.scholarship.rajabasthan.gov.in पर देखी जा सकती है एवं विभागीय जिला कार्यालय में व्यक्तिशः एवं दूरभाष पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।


(सांवरमूल मुमति)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

2014年10月10日 星期五 10:10:10

- 1 संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
- 2 प्रोफेसर सहायक, माननीय मंत्री सहायक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर।
- 5 निजी सचिव, सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, जयपुर।
- 6 निजी सचिव, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
- 7 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/संस्कृत, बीकानेर/ जयपुर।
- 8 निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग, जोधपुर।
- 9 सचिव प्रांतीय मंत्रालय, राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राज.जयपुर।
- 10 जिला कलेक्टर/कोषाधिकारी, (गिरसुत)।
- 11 विनीय सलाहकार, मुख्यावास।
- 12 संयुक्त निदेशक (दिवनागरीयण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
- 13 गैजट्टर/डीन/निदेशक/प्रशासक, राजकीय/निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल, समस्त.....।
- 14 जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी समस्त.....।
- 15 प्राचार्य, राजकीय मॉडल/स्नातकोत्तर/स्नातक महाविद्यालय समस्त.....।
- 16 प्रभानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय/राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय/राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त.....।
- 17 अधीक्षक राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त.....।
- 18 संस्था प्रभान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएं.....।
- 19 मिस्टम एनालिसट (JD) मुख्यावास को छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाने, वेबसाईट पर अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त कर्तु-मेल करवाने हेतु।
- 20 उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोक्तानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने तथा अपने जिले में स्थित समस्त शिक्षण संस्थाओं को अपने स्तर से सूचित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- 21 सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
- 22 शिक्षण पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)